Mukerjee, Shri H. N.
Nair, Shri Vasudevan
Pandey, Shri Sarjoo
Pattnayak, Shri Kishen
Pottekkatt, Shri
Raghavan, Shri A.V.
Ram Singh, Shri
Roy, Shri Saradish
Shastri, Shri Prakash Vir
Singh, Shri Y. D.
Utiya, Shri
Verma, Shri S.L.
Vimla Devi, Shrimati
Yashpal Singh, Shri

Mr. Speaker: The result of the division is: Ayes 138; Noes* 29.

The motion was adopted.

Shri A. K. Gopalan: Sir, we are all going out. What is happening in the country? People are being shot outside. The Government policy is such . . .

An hon. Member: Go away.

Shri A. K. Gopalan: Who is he to ask me to go away?

Mr. Speaker: I now request Shri Kishen Pattnayak to leave the House.

Shri A. K. Gopalan: People are being shot outside and now parliamentary democracy is dead. These people on the other side do not believe in parliamentary democracy ... (*Interruptions*).

(*Shri Kishen Pattnayak, Shri A. K. Gopalan and some other Members left the House*).

13.08 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Satya Narayan Sinha): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing 21st November, 1966, will consist of:—

(1) Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.

(2) Further consideration and passing of the Constitution (Twenty-first Amendment) Bill, 1966 and the Representation of the People (Amendment) Bill, 1966, on Tuesday, the 22nd November, 1966 after disposal of Questions.

(3) Consideration and passing of:—

The Goa, Daman and Diu (Opinion Poll) Bill, 1966.

The Police Forces (Restriction of Rights) Bill, 1966, as passed by Rajya Sabha.

The Indian Tariff (Second Amendment) Bill, 1966.

The Seeds Bill, 1964, as reported by the Select Committee.

The Patents Bill, 1965, as reported by the Joint Committee of the Houses.

(4) Discussion on the student unrest and trouble in recent months on a motion to be moved by Shri Harish Chandra Mathur and others on Wednesday, the 23rd November, 1966, at 4 P.M.

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : पिछले 7 नवम्बर में को घटनायें हुई हैं वह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और सब लोगों ने कहा है कि उस पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। उस का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। मैं जानना चाहता हूं कि उस पर आप कब चर्चा करने वाले हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि 7 तारीख को सारे देश से आये हुये गोवध विरोधी लोगों ने मांग की थी कि गोहत्या बन्द होनी चाहिये। मैं मंत्री महोदय से

---

*Shri Lakhan Das, also wanted to vote for 'NOES', as per his subsequent intimation to the Speaker.

कहना चाहता हूं कि मेरा भी एक बिल इस सम्बन्ध में पड़ा हुआ है । तो सरकार अपनी ओर से गो हत्या बन्द करने के सम्बन्ध में कब विधेयक लाने वाली है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : (बिजनौर): अध्यक्ष महोदय, मैं जो पहला निवेदन आप से करना चाहता हूं वह यह है कि आप थोड़ा शांति से इस बात पर विचार करें कि संसद के इस अन्तिम अधिवेशन में मैं कुछ ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि आप के सोचने के ढंग में कुछ परिवर्तन हो रहा है । जिन आवश्यक और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रश्नों पर राज्य सभा में चर्चा हो सकती है, जैसे नन्दा जी का वक्तव्य है और प्रधान मंत्री का अपना वक्तव्य है और 7 तारीख के प्रदर्शन के सम्बन्ध में गृह-मंत्री जी का वक्तव्य उन के सम्बन्ध में आप से बराबर अनुरोध किया जा रहा है । इन प्रश्नों पर राज्य सभा में तो चर्चा हो सकती है मगर इस सदन में जो कि वरिष्ठ सदन है उस में नहीं हो सकती है । मैं जानना चाहता हूं कि इस अन्तिम अधिवेशन में उस पर चर्चा का अवसर क्यों नहीं दिया जा रहा है । मेरा आप से विनम्र अनुरोध है कि जिस प्रकार से आप पौने पांच सालों तक राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर हमेशा इस सदन में चर्चा का अवसर देते रहे हैं, चन्द एक दिनों तक वैसा ही करें और कोई न कोई अवसर अवश्य दें जिस में कि इन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सके ।

दूसरी बात मैं आपके माध्यम से संसद् कार्य मंत्री से यह कहना चाहता हूं, और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसा आप ने अखबारों में पढ़ा होगा 20 तारीख से जगद्गुरु शंकराचार्य और श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी आमरण अनशन करने वाले हैं । अगर सरकार को यह गलतफहमी हो कि वह गोलियों और लाठियों से इस पवित्र उद्देश्य को पीछे हटा सकती है तो वह अपनी गलत-

फहमी को दूर कर दे और इस प्रश्न पर तत्काल अगले सप्ताह में चर्चा करे जिस से देश की स्थिति इस प्रश्न पर कम से कम न बिगड़े ।

श्री यशपाल सिंह (कैराना): अध्यक्ष महोदय, कल जब विजिलेंस कमिशन की रिपोर्ट पर बहस चल रही थी तब यहां पर माननीय नेता सदन में कोरम नहीं रख सके और उस बहस का टाइम लैप्स हो गया । गलती हुई माननीय नेता सदन की और उस खता की सजा मुझे दी जा रही है । मैं जानना चाहता हूं कि आप की इस मामले में क्या रूलिंग है । मैं तो यहां एक एक मिनट बैठा रहता हूं और माननीय नेता सदन से चम्पत हो जाते हैं । यह गलती माननीय नेता सदन की हो सकती है या रूलिंग पार्टी की हो सकती है । गलती है उनकी और सजा मुझे दी जा रही है ।

सभी मुझ से कहते हैं कि रख नीची
नजर अपनी,
उसे कोई नहीं कहता कि न चल तू
अयां होकर ।

Shri Hem Barua (Gauhati): During the last session of Parliament, the statement made by the Defence Minister on Pakistan military build-up on our frontier was discussed partly. May I know whether that discussion is to be taken up during this session or not?

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): I want that there should be a full-fledged discussion in this House on the law and order situation as it is prevailing in the country. We read something in the papers and we hear questions and answers and we discuss those things piece-meal. It is no use doing things like that. The Government is being misunderstood; the people are being misunderstood and the Opposition parties are also being misunderstood. I, therefore, think that the hon. leader of the House—may he live long—should find some

[Shri D. C. Sharma]

time for discussing the law and order situation in this House.

Shri Satya Narayan Sinha: I will start from my hon friend, Shri D. C. Sharma's point. The law and order situation in the last one month or so is mainly connected with students' unrest and we have put it for the next week. I think, we can very well bring that thing also there. I have already announced that 2½ hours discussion on the motion to be moved by Shri Harish Chandra Mathur and others will be taken up by the House on Wednesday, the 23rd November, at 4 P.M.

About the cow slaughter business, I have not ruled it out in this session. Time permitting, we shall have this discussion. But it all depends upon the availability of time. We are running against time and we are behind schedule. यह मानने की बात है कि इतना महत्वपूर्ण विषय है और इस सदन में उस पर चर्चा होनी चाहिये। लेकिन सवाल प्रायोरिटी का है।

विजिलेंस कमिशन की रिपोर्ट पर बहस के लिये टाइम रक्खा गया, जिस के लिये वादा किया गया था। यहां पर कोरम रखना चाहिये था लेकिन बदकिस्मती है कि कोरम का सवाल उठाया गया। खास तौर पर जो मैंने वादा किया था जब जीरो अवर ओवर-फ्लो हो जायेगा, तब टाइम बढ़ाया जायेगा। लेकिन वह भी पूरा नहीं हो सका जीरो अवर डेढ़ डेढ़, दो दो घन्टे चलता है। ठीक है, मैं कह तो नहीं सकता लेकिन टाइम होगा तो मैं जरूर इस को लेने की कोशिश करूंगा।

श्री यशपाल सिंह : मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं। मुझे को टाइम अध्यक्ष महोदय आप नहीं दे रहे हैं। मैं यहां बराबर बैठा रहता हूं। जब कोरम रखने की बात आती है तब हम लोगों से कहा जाता है लेकिन वह गैरहाजिर हो जाते हैं, उन के मैम्बर गैरहाजिर हो जाते हैं। सजा मुझ को मिलती है।

श्री सत्य नारायण सिंह: बिल्कुल सही है, लेकिन कोरम रखना खाली हमारी जिम्मेदारी नहीं है। दोनों तरफ की है। कई मर्तबे मैंने इस को कहा। खास तौर पर जब एक भी आदमी यहां कम हो जाता है तो कोरम का सवाल उठाया जाता है। ठीक है, सवाल उठाना उन का फर्ज है। लेकिन हम को कुछ प्रेक्टिकेबिलिटी भी तो देखनी चाहिये। खामख्वाह इस सवाल को नहीं उठाना चाहिये। किसी भी पार्लिया-मेन्ट में ऐसा नहीं होता है कि आध घंटे के अन्दर दस बार कोरम का सवाल उठाया जाये। मैं इस के लिये कोशिश करूंगा लेकिन दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिये कोरम रखने की।

श्री यशपाल सिंह : मैं तो कभी भी एब्सेन्ट नहीं होता। मुझ को सजा क्यों दी जाती है।

श्री सत्य नारायण सिंह : अगर मुझे इजाजत हो और कोई गुड अटेंडेंस के लिये प्राइज मिलती हो तो मैं जरूर कहूंगा कि वह आप को मिलनी चाहिये।

श्री डी० चं० शर्मा : दूसरों को भी मिलनी चाहिये।

श्री सत्य नारायण सिंह : मैं इन माननीय सदस्य का नाम भी उस में जोड़ दूंगा।

बार्डर सिचुएशन के बारे में भी कहा गया है कि वह पार्ट हुई है। मैं कोशिश करूंगा कि अगर टाइम हो तो जरूर उस के लिये दिया जाये। सारी मेरी दिक्कत यह है कि यहां तय कर दिया गया है कि 2 दिसम्बर के बाद हम नहीं बैठेंगे और यहां

तरह तरह की बातें उठाई जाती हैं। मैं उस को टाइम बरबाद करना तो नहीं कहूंगा, लेकिन समय कुछ इस तरह से खर्च किया जाता है कि उससे बहुत लाभ नहीं होता। आप सोचिये कि मैं क्या करूं। हम 5 बजे के बाद भी बैठते हैं। बहरहाल, Time permitting, we will try to accommodate everything which has been suggested.

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं ने 7 तारीख के गोलीकांड के ऊपर नोटिस दे रक्खी है। दूसरे सदन में चर्चा हुई है। यहां पर कब हो रही है।

श्री सत्यनारायण सिंह : आप की ऐसी कोई नोटिस नहीं है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : यह गलत बात है कि इस के लिए नोटिस नहीं आई। मैं ने स्वयं नोटिस दी है, उन के कार्यालय ने जानकारी न दी होगी।

श्री हुकम चन्द कछवाय : नोटिस दी हुई है।

श्री सत्य नारायण सिंह : मैं ने जो कुछ कहा वह गलत नहीं है। नोटिस तो बहुत आती है, लेकिन जब सब कमेटी का फैसला होता है तभी मैं उस की नोटिस लेता हूं।

श्री हुकम चन्द कछवाय : दूसरे सदन में चर्चा हो चुकी है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : माननीय संसद् कार्य मंत्री का जो यह कहना है कि सब कमेटी के पास नोटिसें आती हैं और सब कमेटी तय करती है, तो मैं उनकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि 7 तारीख को होम मिनिस्टर ने जो बयान दिया था उस पर मैं ने चर्चा की मांग की थी। चर्चा को "नोडेट यट नेम्ड मोशन" की तरह से स्वीकार भी कर लिया गया। स्वीकृत होने के बाद संसद् कार्य मंत्री के पास वह चला भी गया। फिर संसद् कार्य मंत्री इस प्रकार की अज्ञानता का परिचय दें कि वह नहीं जानते हैं, यह एक विचित्र बात है।

श्री सत्य नारायण सिंह : मैं ने बतलाया कि कोई भी नोटिस जब तक सब कमेटी के द्वारा नहीं आती तब तक मैं नोटिस नहीं लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप को सोचना चाहिये कि जहां तक मेरा सवाल है मैं तो एडमिट ही कर सकता हूं। उसके बाद मैं वक्त मुकर्रर नहीं कर सकता हूं।

श्री हुकम चन्द कछवाय : यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे ऊपर आप दोष लगा रहे हैं. . . .

श्री हुकम चन्द कछवाय : नहीं लगा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं शास्त्री जी से कह रहा हूं।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मंत्री जी पर दोष लगाया है, आप पर नहीं।

राज्य सभा में इस पर बहस हो चुकी है। यहां पर भी वक्त मिलना चाहिये। यहां पर चुने हुए सदस्य हैं। यहां तो बहस होनी ही चाहिये।

Mr. Speaker: The Sub-Committee would call those members or they might go there after finding out as to when the meeting is to be held.

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा) : देश की खाद्य समस्या पर भी बहस होनी चाहिये इसकी वजह से बहुत मुसीबत पैदा हो गई है। तीन प्रान्तों में लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। मेरी दरख्वास्त है कि इसके लिए आप कुछ समय फिक्स करदें चाहे दो घंटे का ही फिक्स कर दें। एक बार देश की खाद्य समस्या पर

[श्री सरजू पाण्डेय]

चर्चा करवा दें तो बहुत सी चीजें दूर हो जायेंगी ।

श्री सत्य नारायण सिंह : समय होगा तो जरूर इसके लिए भी दिया जाएगा । इसको भी ... हुए हैं । लेकिन सब समय पर निर्भर करता है ।

13.22 hrs.

APPROPRIATION (RAILWAYS) NO. 3 BILL*, 1966

The Minister of Railways (Shri S. K. Patil): I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the service of the financial year 1966-67 for the purposes of Railways.

Mr. Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to authorise payment and appripriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the service of the financial year 1966-67 for the purposes of Railways."

The motion was adopted.

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : गलत बयानी के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है ।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से नहीं ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मंत्री महोदय जवाब देने के लिए तैयार हैं ।

Shri S. K. Patil: I introduce† the Bill.

13.22½ hrs.

APPROPRIATION (RAILWAYS) NO. 4 BILL*, 1966

The Minister of Railways (Shri S. K. Patil): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the authorisation of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet the amounts spent on certain services for the purposes of Railways during the financial year ended on the 31st day of March, 1964, in excess of the amounts granted for those services and for that year.

Mr. Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the authorisation of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet the amounts spent on certain services for the purposes of Railways during the financial year ended on the 31st day of March, 1964, in excess of the amounts granted for those services and for that year."

The motion was adopted.

Shri S. K. Patil: I introduce† the Bill.

13.23 hrs.

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (KERALA), 1966-67 AND DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (KERALA), 1962-63 AND 1963-64—*contd.*

Mr. Speaker: The House will now proceed with further discussion of the Supplementary Demands for Grants and Demands for Excess Grants in respect of Kerala.

Mr. Kachhavaiya.

---

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 18-11-66.

†Introduced with the recommenda tion of the President.